

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_hwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5981

दिनांक : 09-02-13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2013 के पद क्रमांक (44) के निर्णयानुसार माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तों/प्रतिबंध :-

1. 28(17) में नियुक्त स्टॉफ, योग्यताधारी नहीं है। अतः पुनः यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी स्टॉफ नियुक्त किया जावे।
2. भूमि समिति के नाम है, जिसे महाविद्यालय के नाम किया जावे।
3. नियुक्त स्टॉफ को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जावे।
4. परिचयपत्र 27 एवं 28 का पूर्ण पालन किया जावे।
5. प्रयोगशालाओं हेतु 50,000/- के उपकरण क्रय किये जावे।
6. पुस्तकालय हेतु 50,000/- रु. की पुस्तकें क्रय की जावे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना।
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)